राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
(अंधापन प्रभाग)

वित्तीय दिशा निर्देश

क्रम संख्या		
1		कार्यक्रम का नाम :– **राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम** राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एन०पी०सी०बी०) का आरम्भ 1976 में किया गया था। इस कार्यक्रम के विविध कार्यकलापों में नेत्रविज्ञान के क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करना, चिकित्सा महाविधालयों और जिला अस्पतालों का उन्नयन, सचल नेत्र इकाईयों का विकास, अपेक्षित नेत्रविज्ञानियों की भर्ती और विभिन्न नेत्रविज्ञानी सेवाओं का प्रावधान शामिल है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः मोतियाबिन्द का ऑपरेशन एवं स्कूली बच्चों के नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। **मोतियाबिन्द का ऑपरेशनः-** मोतियाबिन्द का ऑपरेशन जिला समिति द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक के सभी सरकारी अस्पताल में जहाँ शल्य चिकित्सा कक्ष उपलब्ध हो, शिविर लगाकर करते हैं, दवा एवं चश्में की खरीद, जिला अंधापन नियंत्रण समिति द्वारा की जाती है। आई० ओ० एल० एवं सूचर राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। मोतियाबिन्द का ऑपरेशन गैर सरकारी संस्था के द्वारा भी कराया जाता है। प्रत्येक मोतियाबिन्द ऑपरेशन के लिए गैरसरकारी संस्था को लेंस रहित के लिए 500/- (पाँच सौ रूपये) एवं लेंस सहित के लिए 750/(सात सौ पचास रूपये) देने का प्रावधान किया गया है। 2. **स्कूली बच्चों के नेत्र परीक्षण कार्यक्रम** राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली बच्चों के नेत्र परीक्षण का वृहत कार्यक्रम जिला अंधापन नियंत्रण समिति के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है जिले के सभी बच्चों जो कक्षा 5 से 10 के छात्र है या जिनकी उम्र 10-14 वर्ष की है, का नेत्र परीक्षण कराया जाए ताकि समय पर इनके दृष्टि दोष की पहचान की जा सके। नेत्र परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली शिक्षकों को बच्चों की दृष्टि दोष की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। स्कूली बच्चों के नेत्र परीक्षण कार्यक्रम के तहत शिक्षको को प्रशिक्षित कर उनके सहायोग से स्कूली बच्चों का नेत्र परीक्षण कर दृष्टि दोष पाये जानेवाले बच्चों को उचित चश्मा पहनने की सलाह देना एवं गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार के बच्चों में निःशुल्क चश्मा वितरण करना, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्वेश्य है ।
बजट क्रम संख्या	बजट शीर्ष	वित्तीय दिशा निर्देशन एवं इकाई राशि
	बजट क्रम सख्या– 1 **बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– मोतियाबिन्द ऑपरेशन** **कार्यक्रम का संचालन - सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से** **कार्ययोजना की अवधि- वित्तीय वर्ष -2009-2010**	
	मोतियाबिन्द का ऑपरेशन जिला समिति द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक के सभी सरकारी अस्पताल में जहाँ शल्य चिकित्सा कक्ष उपलब्ध हो, शिविर लगाकर करते हैं, दवा एवं चश्में की खरीद, जिला अंधापन नियंत्रण समिति द्वारा की जाती है। आई० ओ० एल० एवं सूचर राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। मोतियाबिन्द का ऑपरेशन गैर सरकारी संस्था के द्वारा भी कराया जाता है। प्रत्येक मोतियाबिन्द ऑपरेशन के लिए गैरसरकारी संस्था को लेंस रहित के लिए 500/- (पाँच सौ रूपये) एवं लेंस सहित के लिए 750/(सात सौ पचास रूपये) देने का प्रावधान किया गया है।	

	ICCE	ECCE/IOL	Phaco
a. Drugs and consumables	150	200	200
b. Sutures	50	50	0
c. Spectacles	125	125	125
d. Transport/POL	100	100	100
e. Organisation & Publicity	75	75	75
f. IOL, Viscoelastics & Addl.consum.	0	200	250
Total	**500**	**750**	**750**

गैर सरकारी संस्थाओं का मोतियाबिन्द ऑपरेशन करने के बाद समुचित ऑपरेशन विपत्र जमा करने के बाद भुगतान किया जाना चाहिए। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति से कम से कम 5 प्रतिशत मोतियाबिन्द रोगियों को उनके ऑपरेशन स्थल पर उनके छोड़े जाने के पूर्व सर्वेक्षण करना चाहिए।

- जिला स्वास्थ्य समिति ऑपरेशन से संबंधित अभिलेख/कागजात कम से कम तीन साल तक या जब तक गैर सरकारी संस्थाओं का भुगतान नहीं हो जाता या दोनों में जो पहले हो सुरक्षित रखेंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति गैर सरकारी संस्थाओं का मनोनयन अपने जिले में आँखों की देखभाल के लिए कर सकता है। गैर सरकारी संस्था Screening Camps आयोजित कर मोतियाबिन्द की रोगियों/अन्य रोगियों को चिन्हत् करेगी। मोतियाबिन्द के ऑपरेशन हेतु इनका भुगतान गैर सरकारी संस्थाओं को किया जायेगा। अगर कोई मोयिाबिन्द का रोगी स्वंय ऑपरेशन हेतु उक्त संस्था के पास आता है तो गैर सरकारी संस्थाओं को उनका भी भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा अगर रोगी उसी जिले का है।
- गैर सरकारी संस्थाओं जो गरीब मरीज को बगल के जिले से ऑपरेशन स्थल में लाते हैं तथा उनका मोतियाबिन्द का ऑपरेशन किया जाता है तो उनका भुगतान DBCS से की जायेगी। इसके लिए मरीजों का आवासीय प्रमाण–पत्र और एक अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेनी होगी ताकि अन्य जिलों के मरीजों के किये गये ऑपरेशन का भुगतान अन्य जिला में न हो सकें।
- जिला स्वास्थ्य समिलि को वित्तिय वर्ष 2009–2010 में प्रत्येक मोतियाबिन्द ऑपरेशन के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को लेन्स रहित के लिए 500 रुपये मात्र, लेन्स सहित (IOL) एवं फेको (Phaco) के लिए प्रति ऑपरेशन 750 रुपये देय है।
- गैर सरकारी संस्थाओं को सुचर और IOL (Intra Ocular Lens) मुहैय्या करायी जाती है तो जिला स्वास्थ्य समिति ऑपरेशन की राशि भुगतान करने से पहले Suture और IOL की कुल लागत कटौती कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला प्रोग्राम प्रबंधक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर समेकित बाल विकास के कार्यकताओं एवं आशा को प्रशिक्षित करेगें ।
- समेकित बाल विकास के कार्यकताओं एवं आशा को प्रत्येक मोतियाबिन्द मरीज को ऑपरेशन स्थल पर लाने एवं ऑपरेशन उपरान्त रहने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्हे कुल 175/– रूपये प्रति मोतियाबिन्द मरीज की दर से राशि भुगतेय होगी । मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु निधारित राशि में यातायात,ईधन एवं प्रचार प्रसार की राशि से भुगतेय होगी ।

बजट क्रम सख्या– 3&6

बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– नेत्र दान केन्द्र एव नेत्रदान

कार्यक्रम का संचालन - सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से

कार्ययोजना की अवधि- वित्तीय वर्ष -2009-2010

नेत्र दान केन्द्र के उत्क्रमण/ विस्तार के लिए भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार सरकारी / गैर सरकारी संस्थान को भारत सरकार से प्राप्त Non- Recurring Assistance राशि को जिला स्वास्थ्य समिति-अंधापन डिविजन के माध्यम से वितरित किया जायेगा ।अधिकत्तम एक लाख की राशि दी जायेगी ।

नेत्रदान केन्द्रः–कोर्नियल अंधापन के उपचार के लिए पर्याप्त Tissue सभी सहयोगियों (सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं) के द्वारा प्रोत्साहित/विकसित करने की कार्य योजना के लिए नेत्रदान केन्द्र खोला जाना अतिआवश्यक है। नेत्रदान की संबद्धता नेत्र अधिकोष से की जानी है जो निम्नलिखित तथ्यों का प्रबंध करें:–

1. नेत्रदान के संबंध में आम लोगों एवं विशेषज्ञयों के बीच जागरूकता फैलाना ।
2. नेत्रदान के संबंध में समाज में विभिन्न लोगो के बीच सामंजस्य स्थापित करना।
3. कोर्नियल टिस्यू को सही ढंग से निकालना एवं सेरॉलोजी के रक्त इकटठा करना ।
4. कोर्नियल टिस्यू को आई बैंक में सुरक्षित पहुँचाना ।
5. नेत्रदान केन्द्र का पूर्व का कार्याभिलेख संतोषजनक होना चाहिए तथा उक्त संस्था के द्वारा पूर्व के वर्षो में कम से कम पचीस आई बॉल संग्राहित किये हो ।
6. नेत्रदान केन्द्र के लिए निम्नलिखित कर्मियों का होना आवश्यक है।

संशोधित वित्तीय सहायता के अन्तर्गत एक जोडे नेत्र, नेत्रदान केन्द्र पर उपलब्ध कराई जाती है तो उसके लिए पाँच सौ रूपये देय होगी। इस राशि को निम्नलिखित मदों में खर्च किया जा सकता है:–

1. नेत्र को संरक्षित करने के लिए मिडिया जैसे– एम०के० मिडिया, कोर्नियल सेट इत्यादि में देय होगा।
2. सर्जन, सहायक, समाजिक कार्यकर्ता इत्यादि को मानदेय के रूप में भुगतान।
3. गाड़ी एवं तेल इत्यादि में किये गये खर्च।
4. संचार के संसाधनों में किये गये खर्च।
5. अन्य खर्चे जैसे– फुल, माला, कृत्रिम नेत्र में किये गये खर्च।

नोटः– अनुदान की राशि को संबंधित नेत्र अधिकोष या जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राशि नेत्रदान केन्द्र को उपलब्ध कराई जाएगी। साधारणता नेत्रदान केन्द्र, दान में दिये गये नेत्र को संरक्षित करने हेतु नेत्र अधिकोष को उपलब्ध कराते है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का ये दायित्व होगा कि एक जोड़े आँखों के लिए दोबारा भुगतान न हो।

बजट क्रम सख्या– 4

बजट / एफ०एम०आर०शीर्ष– विजन सेन्टर

कार्यक्रम का संचालन – सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से

कार्ययोजना की अवधि– वित्तीय वर्ष -2009-2010

4 विजन सेन्टर

राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहाँ नेत्र चिकित्सक/नेत्र सहायक उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ नेत्र परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / गैर सरकारी संस्थाओं को Vision Centre खोलने हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि 50,000/- को जिला स्वास्थ्य समिति-अंधापन डिविजन के माध्यम से वितरित किया जायेगा। इस राशि को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा निम्न उपकरणों में उपयोग किया जाना है।

1.Tonometeres (Schiotz)
2. Direct Ophthalmoscope
3. Illuminated Vision Testing Drum
4.Trail Lens Sets with Trail Frames
5. Snellen & Near Vision Charts
6. Battery Operated Torch (2)
7.Furnishing & Fixtures
8. Slipt lamp
9. Epilation Forceps Xylocaine Eye drops 4%

(प्रत्येक जिला को प्रति विजन सेन्टर खोलने हेतु राशि विमुक्त की जानी है; रूपये 50,000/-)

Vision Centre

सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां नेत्र चिकित्सक/नेत्र सहायक उपलब्ध नही है, वहां नेत्र परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने vision Centre की परिकल्पना की है। जिसके तहत गैर सरकारी संस्थाओं को इन इलाकों मे vision centre खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। प्रत्येक Vision Centre में किन समानों की आवश्यकता होगी और इसके क्रम में कितनी राशि खर्च होगी, इसका आकलन सरकार द्वारा किया गया है। पूर्व में सरकार ने गैर सरकारी संस्थाओं को प्रत्येक Vision Centre की स्थापना करने के लिए एकमुश्त 25,000/– (पचीस हजार रूपया मात्र) की राशि देने का निर्णय लिया था जिसके अनुसार 25 जिला स्वास्थ्य समिति को कुल 6,25,000/- की राशि विमुक्त कर दी गई है। जो निम्नवत् है, यथा, अररिया, सीवन, कैमुर,पटना,बाँका,औरंगाबाद,बेगुसराय,भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर,नालंदा, पूर्णियाँ, समस्तीपुर,सारण,सीतामढ़ी, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण को राशि विमुक्त की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2009–2010 में यह राशि एकमुश्त 50,000/– (पचास हजार रूपया मात्र) की राशि देने का निर्णय लिया गया है।

प्रत्येक Vision Centre में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा एक नेत्र सहायक रखा जाएगा, जो लोगों को आँखों की जांच करेगा, First Aid देगा एवं जरूरी सलाह भी प्रदान करेगा और आवश्यकतानुसार उसे नजदीक के अस्पतालों में नेत्र चिकित्सक/नेत्र सहायक उपलब्ध हो वहां रेफर कर देगा। Vision Centre में उपलब्ध नेत्र सहायक मरीजों की चश्में की जांच करने के लिए भी अधिकृत होंगे।

सरकार ने रोजमर्रा के खर्चे के साधन जुटाने के लिए साधारण पंजीयन शुल्क एवं चश्में की जांच के लिए साधारण शुल्क जिसे नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी की सलाह से निर्धारित किया जाना है, कि छुट गैर सरकारी संस्थाओं को दी है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए कोई शुल्क देय नही होगा। Vision Centre के कार्यकलापों

		की देख–रेख एवं मॉनेटरिंग भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी करेंगे और उसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति– अंधापन डिवीजन एवं राज्य स्वास्थ्य समिति–अंधापन डिविजन को नियमित रूप से देते रहेंगे । राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा गैर सरकार संस्थाओं से कुल 75 Vision Centre खोलने के लिए Expression of Interest समाचार पत्रों में विज्ञप्ति देकर मांग की गयी थी । (1) MLOP (Mid Level Opthalmic Personnel) का अभिप्राय नेत्र सहायक (Ophthalmic Assistance) से है जिसके लिए निर्धारित योग्यता Diploma in Para Ophthalmology है। (2) Base Hospital का अभिप्राय वैसे सरकारी अथवा NGO चालित अस्पताल से है जहां पर Eye Surgeon की सुविधा उपलब्ध है। (3) एक क्षेत्र के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदनकर्ता NGO के Profile सहित संबंधित कार्य क्षेत्र (Eye Care Service) में प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवता, अनुभव आदि को आधार मानकर एक Technical Selection Committee के माध्यम से आवेदित क्षेत्र के लिए NGO के चुनाव (Selection) का निर्णय लिया जा सकता है।
		बजट क्रम सख्या– 8 बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– **प्रशिक्षण** **कार्यक्रम का संचालन - राज्य स्तर / जिला स्तर पर** **कार्ययोजना की अवधि- वित्तीय वर्ष -2009-2010** राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी, नेत्र सहायक एवं नर्सो का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। जिसमें चिकित्सा पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की अवधि तीन दिन, नेत्र सहायकों की पाँच दिन और नर्सो की प्रशिक्षण की अवधि 28 दिनों की होती है। जिला स्तर पर स्वास्थ्य कर्मी एवं आशा इत्यादि का प्रशिक्षण आयोजित की जाती है।
		बजट क्रम सख्या– 9 बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– प्रचार – प्रसार (आई०ई०सी०) **कार्यक्रम का संचालन - राज्य स्तर / जिला स्तर पर** कार्ययोजना की अवधि- वित्तीय वर्ष -2009-2010 राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम लोगों में मोतियाबिन्द ऑपरेशन और आँखों के देखभाल हेतु जागरूकता फैलाना के लिए विभिन्न प्रकार के हैन्ड–बिल्स, पम्पलेट, पोस्टर, बैनर, केबल नेटवर्क, होर्डिंग और दूरदर्शन पर विज्ञापन की जाती है। जिससे लोगों में जागरूकता एवं कार्यक्रम के प्रति जानकारी प्राप्त हो।
		बजट क्रम सख्या– 10 बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– **स्कूली बच्चों के नेत्र परीक्षण कार्यक्रम** **कार्यक्रम का संचालन - जिला स्तर पर** **कार्ययोजना की अवधि- वित्तीय वर्ष -2009-2010** राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली बच्चों के नेत्र परीक्षण का वृहत कार्यक्रम जिला अंधापन नियंत्रण समिति के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है जिले के सभी बच्चों जो कक्षा 5 से 10 के छात्र है या जिनकी उम्र 10-14 वर्ष की है, का नेत्र परीक्षण कराया जाए ताकि समय पर इनके दृष्टि दोष की पहचान की जा सके। नेत्र परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली शिक्षकों को बच्चों की दृष्टि दोष की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। स्कूली बच्चों के नेत्र परीक्षण कार्यक्रम के तहत शिक्षको को प्रशिक्षित कर उनके सहायोग से स्कूली बच्चों का नेत्र परीक्षण कर दृष्टि दोष पाये जानेवाले बच्चों को उचित चश्मा पहनने की सलाह देना एवं गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार के बच्चों में निःशुल्क चश्मा वितरण करना, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है । विद्यालय के शिक्षको को नेत्र सहायक की मदद से प्रशिक्षित किया जाता है । इसके लिए जिला शिक्षा विभाग और विद्यालयों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाता है । इसके लिए भारत सरकार ने गरीब बच्चों को चश्मा के लिए १२५/- (एक सौ पचीस रूपये मात्र) की राशि निर्धारित की है । जो जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी इसके लिए जिला स्वास्थ्य समिति किसी चश्में की दुकान से सम्पर्क करने के लिए स्वतंत्र है । स्कूलों में स्कूलीं बच्चों के लिए दृष्टि सर्वेक्षण कार्ड एवं शिक्षको को दृष्टि सर्वेक्षण कार्ड भारत सरकार से मुहैया कराई जाती है । इसे राज्य स्तर से भी छपाई कर वितरित किया गया था **बजट क्रम संख्या– 13** बजट / एफ0एम0आर0शीर्ष– **मेडिकल कालेज**

कार्यक्रम का संचालन - मेडिकल कालेज

कार्ययोजना की अवधि- वित्तीय वर्ष -2009-2010

मेडिकल कालेज के उत्क्रमण/ विस्तार के लिए भारत सरकार से उपकरणों की खरीद हेतु यह राशि मेडिकल कालेज को दी जातीहै , जिससे कार्यक्रम के संचालन हेतु निम्न उपकरणों की खरीद की जाती है । जो निम्न है ।

Ophthalmic Equipments/Surgical Sets/IOLs, Sutures etc for Regional Institutes of Ophthalmology & Medical Colleges (to be procured by RIO/Medical College/State Health Society)

S.No. Equipment

1 Operating Microscope with Assistant scope & Camera attachments (high end/basic)
2 A-Scan Biometer
3 Keratometer
4 Slit Lamp with camera
5 Nd-Yag Laser
6 Applanation Tonometer (Gold Man)
7 Auto Refractometer
8 Vitrectomy Unit
9 Flash Autoclave
10 Automated Perimeter with field analyzer
11 Phacoemulsifier
12 Double Frequency Yag Laser/Argon Green Laser/Diode Laser with slit lamp, indirect ophthalmoscope, endolaser delivery systems
13 Fundus Fluorescein Angiography
14 Streak Retinoscope
15 Tonometers (Schiotz)/Perkins Tonometer
16 Direct Ophthalmoscope
17 Indirect Ophthalmoscope
18 Low Vision Aid Devices:- High Plus Spectacles, Hand Held Magnifiers, Stand Magnifiers,
Telescopes, Videomagnifiers (Closed Circu it Television), Absorptive Lenses, Field Expanding
Devices
19 B - Scan
20 Fundus Camera Digital
21 Teller visual acuity cards/Cardiff cards
22 A set of trial lens box and trial frame including trial frame for children
23 90 D lens, 78 D lens, 20D lens
24 Ishihara colour vision book
25 Synaptophore
26 Tonopen
27 Worth 4 dot set with red and green glasses and rotating test drum
28 Loose prism set

		29 Prism bar, Maddox wing, tangent scale 30 RAF ruler, Bagolini Glasses 31 Instrument s for examination under general anaesthesia. 32 Cardiac monitor with defibrillator 33 Paediatric oculoplasty surgery set 34 BP apparatus with paediatric cuff 35 Surgical sets for all subspecialties (retina, Cornea, Glaucoma, Squint, Oculoplasty for all major and minor surgeries) 36 Microsurgical instruments including SICS blades and phaco probes 37 Instruments for management of ocular trauma, keratoplasty set, instruments for lid surgeries, instruments for enucleation, entropion, Ectropion etc. 38 Vision Charts-Snellens/logmar 39 Refraction Units 40 OCT (Optical Cohrence Tonography) 41 Air- conditioners 42 Pulse-oxymeter 43 Generator 44 Surgical Sets for all sub specialties. 45 Auto Kerato Refractometer 46 Laser/Argon and Yag with slit lamp delivery, indirect ophthamoscope LIO, and endolaser 47 IOLs 48 Sutures 4-0, 8-0, 10 -0 (silk, Nylon, Vicryl, Prolene) 49 Gonioscope (single mirror/2- mirror/Goldman 3-mirror/pan fundoscopic Lens 50 Consumables for Phaco Surgery(phaco tips, sleeves, cassettes etc.) 51 SICSX(blades) 52 Paymen Capsulotomy Lens (for Yag Laser) 53 Abraham Iridotomy Lens (for Yag Laser) 54 Mainster Lens -Central Fundus (Laser Coated) 55 Mainster Lens -(Widefield) (laser coated) 56 Fluorescein strips 57 Schirmer Tear Test Strips 58 Rose Bengal Strips 59 Lissamine Green Strips 60 Lander's Vitrectomy Lens set 61 Lander's Vitrectomy Lens Set (Pediatrict size) 62 Vitrectomy Irrigating Lens set (Plano, widefield, biconcave) 63 Silicon Oil Injector 64 Intraocular Magnet (Titanium Handle) 65 Endocapsular Tension Ring 66 Consumables for ophthalmic surgery (like viscoelastics, Ringer bactale etc.) **Maximum assistance for RIOs**

		Existing RIOs=Rs.40 lakh, New RIOs=Rs.60 lakh Maximum assistance for Medical Colleges=Rs.40 lakh
		वित्तीय दिशा निर्देशन हेतु पूर्व में प्रेषित पत्र – विभागीय पत्रांक 9440 दिनांक 23.3.2009 संबंधित कार्यक्रम अधिकारी का नाम - डा० शत्रुघ्न प्रसाद सिंह निदेशक प्रमुख सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (चक्षु) मोबाईल नम्बर - 9431486776